

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर,ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक/ 543

/स्था/प्रनिबो/2019

भोपाल, दिनांक


07 MAR 2019

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य बोर्ड की 147 वीं बैठक दिनांक 14 मई 2018 में पारित आदेश तथा राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा 12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (तृतीय श्रेणी) एवं चतुर्थ श्रेणी (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम 1996 में बिन्दु क्रमांक 20(5) अन्तर्विष्ट करते हुये बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) विनियम 1976 लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 20/6/18 का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र दिनांक 25/6/2018 में किया गया है ।

उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 25/6/2018 के उपरांत बोर्ड की सेवा से सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु मध्य प्रदेश राज्य शासन अनुसार पेंशन योजना प्रभावी की जाती है ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
लिये तथा आदेशानुसार


(E. O. मिश्रा)

सदस्य सचिव, 8

भोपाल, दिनांक


07 MAR 2019

पृ.क्र. 544

/स्था/प्रनिबो/2018

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. नोटिस बोर्ड/आई.टी.शाखा/गार्ड फाईल ।


(E. O. मिश्रा)

सदस्य सचिव,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भोपाल

8